संख्या-27/374/30-3-14-26बी/2012टी0सी0

प्रेषक,

संतोष कुमार रावत
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ दिनॉक 04 मार्च, 2014**

विषय - वित्तीय वर्ष 2013-14 में परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय की मद में प्राविधानित धनराशि में से निक्सी का अग्रिम भुगतान करने हेतु धनराशि रू0 2,40,59,471.00 के अग्रिम आहरण की अनुमति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-07(जी)कं0से0/2014-कं0से0(ए-2006)वाल्यूम-9/2013, दिनॉक 27 जनवरी, 2014 एवं पत्र संख्या-45(जी)कं0से0/2014-कं0से0(ए-2006)वाल्यूम-9/2013, दिनॉक 07 फरवरी, 2014 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-955/30-3-2013-26बी/2012, दिनॉक 04 अप्रैल, 2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के आयोजनेत्तर पक्ष में जारी वित्तीय स्वीकृतियों में लेखाशीर्ष-3055 के अन्तर्गत 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 200,000 हजार (रू0 बीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अपके निवर्तन पर रखी गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग की कम्प्यूटरीकरण की योजना तथा सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की योजना हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर व अन्य सहवर्ती उपकरणों के क्रय करने के लिये कार्यदायी संस्था नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इनकार्पोरेटेड (निक्सी), नई दिल्ली को अग्रिम भुगतान किये जाने के लिये धनराशि रू0 2,40,59,471.00 (रू0 दो करोड़ चालीस लाख उनसठ हजार चार सौ इकहत्तर मात्र) का अग्रिम आहरण कर अग्रिम भुगतान किए जाने की वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनॉक 25-10-1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनॉक 10-06-2011 में निहित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2013-14 में अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"3055-सडक परिवहन (आयोजनेत्तर)-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर /साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

4- इस स्वीकृत अग्रिम धनराशि रू0 2,40,59,471.00 (रू0 दो करोड़ चालीस लाख उनसठ हजार चार सौ इकहत्तर मात्र) का समायोजन दिनॉक 31-03-2014 तक कर लिया जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0सं0-एफए-1-51/दस-2014, दिनॉक 04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0

(संतोष कुमार रावत)

अनु सचिव।

संख्या-27/374(1)/तीस-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(संतोष कुमार रावत)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in